(39)

न्यायालय रेवेन्यु बोर्ड ग्वालियर म0प्र0

R-1374-PBR-17 प्रक0 /2017

1. कन्हैयालाल पिता चुन्नीलाल जी जाति खाती उम्र 73 वर्ष
2. अशोक कुमार पिता प्रेमचंद जाति खाती उम्र 45 वर्ष
3. ओमप्रकाश पिता प्रेमचंद खाती उम्र 43 वर्ष
4. मधुबाला पिता प्रेमचंद खाती पति विनोद कुमार खाती उम्र 45 वर्ष
5. संगीता पिता प्रेमचंद खाती पति कारूलाल खाती उम्र 35 वर्ष
6. कमलाबाई पिता चुन्नीलाल जी पति कन्हैयालाल खाती
7. पवीत्राबाई पिता प्रेमचंद पति गोपाल खाती

सभी निवासीयान सीतामऊ जिला मंदसौर म.प्र. ——— प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभुलाल पिता मोतीलाल जी जाति खाती उम्र 55 वर्ष

डाक से प्राप्त

2. गीताबाई बेवा मोतीलाल जी खाती उम्र 75 वर्ष

धंधा खेती सभी निवासीयान सीतामऊ जिला मंदसौर म.प्र.——— विपक्षीगण

2.5.17

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भुराजस्व संहिता</u>
<u>विरूद्ध आदेश दिनांक 31/03/2017 प्र.क. 33/ 16—17</u>
<u>निगरानी न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर जिला मन्दसौर</u>

माननीय महोदय,

निगरानी प्रार्थीगण अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर अवधि में निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

/1/ यह कि आदेश अधिनस्थ न्यायालय विधि विधान एवं प्रकरण के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

/2/ यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने यह निर्णय प्रदान करने में भुल की है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सुनने का अधिकार न्यायालय रेवेन्यु बोर्ड को है व अधिनस्थ न्यायालय को नही है।

(3)

/3/ यह कि धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत **निगरानी सुनने का**

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(37)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1374-पीबीआर/17 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	